## Il 12011/96/2020- WARLOOD 414-16 dt 7/9/2020,

भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग केंद्रीय जल आयोग जल आयोजन एवं परियोजनासमन्वय निदेशालय



Government of India
Ministry of Jal Shakti
Deptt. of Water Resources, RD&GR
Central Water Commission
WP&P COORDINATION DIRECTORATE

RTI MATTER (SPEED/REG POST)

To,

,Shri Ved Prakash Aggrawal

,Chejeev Vihar ,3-sector ,16-C

,GhazeabadUP: 201003:

in.co.yahoo@telo\_dev :Email

विषय:सूचना के अधिकार 2005 के तहत श्री वेद प्रकाश अगरवाल का दिनांक 10/08/2020 का प्रथम आवेदन क्रमांक CWCND/A/E/20/00028

(First Appeal under RTI Act-2005 of Shri Ved Prakash Aggrawal Chejeev Vihar, Sector-3, 16-C, Ghaziabad, UP 201003, Email <a href="mailto:dev\_telo@yahoo.co.in">dev\_telo@yahoo.co.in</a> dt 10/08/2020, having Reg No. CWCND/A/E/20/00028, in reference to his RTI Application No CWCND/R/E/20/00103 dated 07-07-2020.)

Ref.: 1. Under Secretary and Nodal Officer RTI, CWC, letter No A-49012/8/2020/RTI/170 dated 10-08-2020. (Received on dt. 24/08/2020)

2. Letter of the Applicant Shri Ved Prakash Aggrwal dt 08/08/2020 ( CE PAO Dairy No 354 Dt 26/08/2020)

Name of the Appellant: Shri Ved Prakash Aggrwal

Chejeev Vihar Sector-3, 16-C,

Ghazeeabad, UP 201003

Email dev telo@yahoo.co.in

Name of the CPIO : Shri PADMA DORJE

Director (WP&P Co-ordination) and

CPIO WP&P Wing, CWC,

3<sup>rd</sup> Floor (S), Sewa Bhawan, R.K. Puram,

New Delhi- 110066.

## Background:

1. This is with reference to the on-line First Appeal no.- CWCND/A/E/20/00028 dated



10/08/2020 of **Shri Ved Prakash Aggrwal** received on 24-08-2020 in the office of the First Appellant Authority, WP&P Wing, CWC, New Delhi, from Under Secretary & Nodal Officer, RTI, CWC, New Delhi on ground that **"Details not provided, No Response Within Time Limit"**.

- 2. In respect of above said RTI application having No CWCND/R/E/20/00103 dated 07-07-2020, the CPIO of WP&P Wing of CWC had sent the reply to the applicant vide his office letter No I-12011/42/2019-WPP Coordination/I/23688/2020 dt 14/07/2020.
- 3. In light of above, the application under RTI Act 2005 of Shri Ved Prakash Aggrawal which was received in WP&P Coordination Dte on 10/07/2020 shall be considered as settled under the provisions of Right to Information Act, 2005 by the Central Public Information Officer of Water Planning and Project Wing of Central Water Commission and No further action on the part of CPIO, WP&P Wing of CWC was required.
- 4. In continuation to his online above said appeal the applicant by attaching the decision of the first appellate authority of CGWB has sent his letter dt 08/08/2020 which was received in office of the First appellate Authority on 26/08/2020 stating that he is not satisfied with the reply in reference to his RTI Application No CWCND/R/E/20/00103 dated 07-07-2020 sent by the CPIO WP&P Wing vide letter No I-12011/42/2019-WPPWing/I-23688/2020 dt 14/07/2020. As the information provided by CPIO WP&P Wing and decision of the first appellate authority of CGWB are Contradictory in his opinion. And requested to issue orders as per rule.
- 5. In support of reply made by CPIO following was put up:
  - i) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड वेब साइट <a href="http://cgwb.gov.in/Hindi/citizencharter.html">http://cgwb.gov.in/Hindi/citizencharter.html</a> पर उपलब्ध सूचनानुसार
  - 1. केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है जिसे प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रचार-के सिद्धांत के आधार पर तिकी कुशलता और औचित्यतथा आर्थिक एवं पारिस्थि प्रसार करने षणभारत के भूजल संसाधन के अन्वे, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से सुरक्षा तथा वितरण सिहत इसके वैज्ञानिक एवं सतत विकास और प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय नीतियों की मॉनीटरिंग एवं कार्यान्वयन करने का दायित्व सौंपा गया है।

बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों अथवा निजी अभिकरणों को सेवाएँ उपलब्ध नहीं करता है।

तथा

- ii) केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, भारत सरकार के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय जल आयोग केवल सतही जल से संबंधित कार्य करता है। केंद्रीय जल आयोग, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श, योजना, नियंत्रण, संरक्षण और पूरे देश में जल संसाधनों के उपयोग की योजना के लिए सामान्य जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। जल विद्युत विकास। यह आवश्यकतानुसार किसी भी ऐसी योजनाओं की जांच, निर्माण और निष्पादन भी करता है।
- iii) सप्तम अनुसूचि अनु 246 सूची 2 राज्य सूची 17 के अनुसार जल, राज्य का विषय है तथा उसके सम्बंध में निर्णय लेने या योजनाएँ बनाने का अधिकार राज्य का है.
- 6. In light of point 前 5 I (i),(ii) & (iii), the reply to the application having No CWCND/R/E/20/00103 dated 07-07-2020 under RTI Act 2005 of Shri Ved Prakash Aggrawal which was received in WP&P Coordination Dte on 10/07/2020 shall be considered as correct under the provisions of Right to Information Act, 2005 by the Central Public Information Officer of Water Planning and Project Wing of Central Water Commission and No further action on the part of CPIO, WP&P Wing of CWC is required.

## 7. Decision

केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग, भारत सरकार के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय जल आयोग केवल सतही जल से संबंधित कार्य करता है। केंद्रीय जल आयोग, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नेविगेशन, पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श, योजना, नियंत्रण, संरक्षण और पूरे देश में जल संसाधनों के उपयोग की योजना के लिए सामान्य जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। जल विद्युत विकास। यह आवश्यकतानुसार किसी भी ऐसी योजनाओं की जांच, निर्माण और निष्पादन भी करता है।

सप्तम अनुसूचि अनु 246 सूची 2 राज्य सूची 17 के अनुसार जल, राज्य का विषय है तथा उसके सम्बंध में निर्णय लेने या योजनाएँ बनाने का अधिकार राज्य का है In view of the above, CPIO, WP&P Wing of CWC has acted in accordance to the provisions of RTI Act, 2005 and sent the reply to the applicant based on the information available with them.. (सप्तम अनुसूचि अन् 246 सूची 2 राज्य सूची 17 की प्रति संलग्न है -कुल तीन पृष्ठ)

&

केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है जिसे प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रचार-के सिद्धांत केतथा आर्थिक एवं पारिस्थितिकी क्शलता और औचित्य प्रसार करने भारत के भूजल संसाधन के अन्वे, आकलन, संरक्षण, संवर्धन, प्रदूषण से स्रक्षा तथा वितरण सहित इसके वैज्ञानिक एवं सतत विकास और प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय नीतियों की मॉनीटरिंग एवं कार्यान्वयन करने का दायित्व सौंपा गया है। भूमिजल से संबन्धित निर्णय लेने का अधिकार केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड का है। बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों अथवा निजी अभिकरणों को सेवाएँ उपलब्ध नहीं करता है।

In the light of the above, the First Appeal No CWCND/A/E/20/00028, dated 10/08/2020 of ,Shri Ved Prakash Aggrawa is hereby disposed off as the information by CPIO as well decision by the first appellate authority of CGWB are not contradictory.

म्ख्य अभियंता (प0म्0सं0) एवं प्रथम अपील अधिकारी सातवाँ तल (द0), सेवा भवन, रामकृष्ण प्रम, नई दिल्ली-110066

Copy to:-

- 1. Director, WP&P (C), CWC and CPIO, CWC, Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi.
- 2. Under Secretary & Nodal Officer RTI, CWC, Sewa Bhawan, R. K. Puram, New Delhi with reference to his letter No.-A-49012/8/2020/RTI/170 dated 10-08-2020

तृतीय तल द)0), सेवा भवन, रामकृष्ण प्रम

नई दिल्ली-110066

दूरभाष :011 29583225 , फैक्स :011 29583209

ई मेल :wppcdte@nic.in

3rd FLOOR (S), SEWA BHAWAN, R.K.PURAM

NEW DELHI-110066 Tel. 01129583225 : Fax: 011 29583209

Email :- wppcdte@nic.in

**♦**Conserve Water- Save Life **♦** 

□जल संरक्षण सुरक्षित भविष्य -□